मंजरी देवी आदि — हरनारायण आदि प्र. सं. 52/17

दिनांक	आज्ञा पत्र	
21.6.24	पत्रावली पेश। अधीनस्थ उपस्थित [illegible] वास्ते बहस दिनांक 22.7.24 को पेश हो।	भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर
22.7.24	पत्रावली पेश। अधीनस्थ उपस्थित [illegible] वास्ते बहस दिनांक 16.8.24 को पेश हो।	भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर
16.8.24	पत्रावली पेश। अधीनस्थ उपस्थित [illegible] वास्ते बहस दिनांक 20.9.24 को पेश हो।	भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर
20.9.24	पत्रावली पेश। बहस उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 26.9.24 को पेश हो। भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर	
26.9.24	पत्रावील पेश । अपील अपीलांट खारिज की जाती है। निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो। भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर	न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 52/2017

1 श्रीमती भंवरी देवी पत्नी स्व. श्री भगवानाराम
2 मंजू पुत्री स्व. भगवानाराम
3 हंसराज पुत्र स्व. भगवानाराम
4 त्रिलोक सिंह पुत्र स्व. भगवानाराम
समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम बठोठ तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर ।

अपीलांट्स

बनाम

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

1 सुरजाराम पुत्र नाथाराम
2 मोहनलाल पुत्र नाथाराम
3 अमरसिंह पुत्र नाथाराम
4 सुखदेव सिंह पुत्र नाथाराम
5 बलबीर सिंह पुत्र नाथाराम
6 भंवरलाल पुत्र स्व टोडाराम
7 चन्द्री पुत्री स्व टोडाराम
8 रामलाल पुत्र सेवाराम मृत
8/1 डाली देवी पत्नी स्व. रामलाल
8/2 महेन्द्र सिंह पुत्र स्व. रामलाल
8/3 सुरेन्द्र पुत्र स्व. रामलाल
समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम बठोठ तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर ।
9 बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा ग्राम बठोठ जरिये शाखा प्रबन्धक।
10 तहसीलदार, तहसील लक्ष्मणगढ़ भूमिधारक राजस्थान सरकार।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

11 पटवारी हल्का ग्राम बठोठ तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।

रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ दिनांकित 01.05.2017 बसिलसिले दावा उनवानी सुरजाराम बनाम श्रीमती भंवरी आदि दावा संख्या 189/2015 अपील अन्तर्गत धारा 223 आर. टी.एक्ट।

उपस्थिति :

1. श्री महेन्द्र सिंह सुण्डा , अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री विद्याधर सुण्डा, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट
3. श्री नोपतराम चावला, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट
4. श्री सागरमल धायल, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांकः— 26.9.24

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ द्वारा मुकदमा नम्बर 189/2015 में पारित निर्णय दिनांक 01.05.2017 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादीगण रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 लगायत 5 ने एक वाद उद्घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा, दुरूस्ती रिकार्ड बाबत भूमि खसरा नम्बर 392, 391 वाके ग्राम बठोठ तहसील लक्ष्मणगढ़ का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी डिक्री कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि अपीलान्टान के पति व पिता भगवानाराम ने दिनांक 08.07.1985 को या कभी भी 6 बीघा 15 बिश्वा भूमि रेस्पोडेन्टान संख्या 1 ता 5 के पिता नाथाराम को कभी भी विक्रय नहीं की जिसका स्पष्ट उल्लेख अपीलान्टान ने अपने जवाब दावे में भी किया है रेस्पोडेन्टान/वादीगण ने अपनी साक्ष्य में अपना विक्रय पत्र साबित किए बिना ही विचारण न्यायालय ने उक्त तथाकथित विक्रय पत्र के आधार पर वादीगण का दावा डिक्री किए जाने में कानूनी गलती की है। अपीलान्टान द्वारा विचारण न्यायालय में प्रस्तुत जवाब दावे के आधार पर विचारण न्यायालय ने आदेश 14 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के तहत तनकीयात कायम करना कानूनन आवश्यक होते हुये भी विचारण न्यायालय ने तनकीयात बनाये बिना ही तथा तनकीयात के अनुसार दोनों पक्षो की शहादत लिए बिना ही अपनी मर्जी मुताबिक अपना निर्णय जैर अपल पारित किया है जो निरस्तनीय है। विचारण न्यायालय ने अपीलान्टान के जवाब दावे के अनुसार न तो तनकी बनाई और न अपीलान्टान को अपनी साक्ष्य प्रस्तुत करने का मौका दिया और न अपीलान्टान को सुना गया व बिना बहस सुने बिना ही दिनांक 11.04.2017 की आदेशिका में बहस सुने जाने का उल्लेख किया है विचारण न्यायालय का निर्णय प्राकृतिक न्याय व न्याय के सामान्य सिद्धान्तों के विरूद्ध होने से निर्णय जैर अपील निरस्तनीय है। तथाकथित विक्रय पत्र दिनांक 08.07.1985 का बताया गया है। विक्रय पत्र में वर्णित भूमि फ्रेगमेन्ट की परिभाषा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

मे आने की वजह से उक्त विक्रय पत्र सर्वथा वोयड व पब्लिक पोलिसी के विपरीत होने से वादीगण को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते हुये भी उक्त विक्रय पत्र के आधार पर वादीगण को खसरा नम्बर 391 रकबा 10.16 हैक्टेयर में से वादीगण को 1.68 हैक्टेयर भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित करने में कानूनी गलती की है। विचारण न्यायालय ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 की उप धारा 1 (राजस्व अधिनियम संख्या 22 दिनांक 11.11.1992 के द्वारा विलोपित की जा चुकी है।) के आधार पर निर्णय जैर अपील पारित करने में गलती की है जबकि उक्त प्रावधान के अनुसार 11.11.1992 के बाद में फ्रेगमेन्ट के विक्रय पत्र ही कानूनन मान्य है उससे पूर्व के विक्रय पत्र जो फ्रेगमेन्ट के आधार पर वोयड है वे कानूनन वैध नहीं है फिर भी विचारण न्यायालय ने कानून प्रावधानों को सही रूप से समझे बिना ही व उसका कतई गलत अर्थ निकालकर अपना निर्णय व डिक्री जेर अपील पारित करने में कानूनी गलती की है। अतः निर्णय व डिक्री जैर अपील निरस्तनीय है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार नामान्तकरण संख्या 499 निर्णय दिनांक 10.05.1986 जो वादीगण के पिता नाथाराम पुत्र रूडाराम जाति जाट निवासी बठोठ में से 06 बीघा 15 बिश्वा भूमि क्रय किये जाने के फलस्वरूप निष्पादित रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 08.04.1985 के आधार पर दर्ज एवं फैसल हुआ है। उक्त वर्णित नामान्तकरण का अमल संवत 2044 से 2047 में तहरीर की गई नई जमाबंदी चौसाला में किया गया था, परन्तु वादीगण के पिता नाथाराम पुत्र रूडाराम जाति जाट निवासी बठोठ द्वारा क्रय की गई भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 की उपधार–1 (राजस्व अधिनियम संख्या 22 दिनांक 11.11.1992 के द्वारा विलोपित की जा चुकी है) के प्रावधानानुसार अपखण्डन (फ्रेगमेन्ट) की श्रेणी में आने से, दौराने जमाबंदी

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

जांच तत्कालीन नायब तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ द्वारा बहैसियत राजस्व अधिकारी उक्त वर्णित नामान्तकरण का अमल रोक दिये जाने से आगामी जमाबंदियों में उक्त नामान्तकरण का अमल नहीं किया गया है। वादीगण का राजस्व रिकार्ड में उक्त अमल दरामद उक्त वर्णित अपखण्डन (फ्रेगमेन्ट) के कारण नहीं हो पाया। इस प्रकार विचारण न्यायालय ने वाद डिक्री कर कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आरआरडी 1994 पेज 714 का न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलान्टान द्वारा विचारण न्यायालय में प्रस्तुत जवाब दावे के आधार पर विचारण न्यायालय ने आदेश 14 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के तहत तनकीयात कायम करना कानूनन आवश्यक होते हुये भी विचारण न्यायालय ने तनकीयात बनाये बिना ही तथा तनकीयात के अनुसार दोनों पक्षो की शहादत लिए बिना ही विचाराधीन निर्णय पारित कर विधिक त्रुटि की है। विचारण न्यायालय ने अपीलान्टान के जवाब दावे के अनुसार न तो तनकी बनाई और न अपीलान्टान को अपनी साक्ष्य प्रस्तुत करने का मौका दिया और न अपीलान्टान को सुना गया केवल दिनांक 11.04.2017 की आदेशिका में बहस सुने जाने का उल्लेख किया है विचारण न्यायालय का निर्णय प्राकृतिक न्याय व न्याय के सामान्य सिद्धान्तों के विरूद्ध होने से विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है। विचारण न्यायालय ने विधिक प्रक्रिया की पालना किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित कर विधिक त्रुटि की है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय व डिक्री अपास्त किया जाता है एंव प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

जाता है कि प्रकरण में तनकी कायम कर साक्ष्य प्राप्त कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.10.2024 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 26.9.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोलक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी,
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर